country. Although the minimum rate of wages of the agricultural workers is fixed under the Minimum Wages Act, 1948, there is no adequate law enforcing agency to ensure, at least, such minimum wages to the agricultural workers. There is no law applicable to them on all India basis so as to provide for security of their employment, regulation of hours of work, provision for provident fund and pension and implementation of various welfare schemes. So, it is very necessary that a central legislation is enacted, which may be applicable to all the States, as is the case with other labour laws. The agricultural workers have been agitating for a long time for enactment of such a law and the Union Government is committed to bring a Bill.

I, therefore, urge upon the Government to take immediate steps to enact a comprehensive central legislation for the benefit of agricultural workers all over the country without further delay. Thank you.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : सभापति महोदय, मैं इनको ऐसोसिएट करती हूं और कहना चाहूंगी कि कृषि मजदूरों के लिए एक केंद्रीय कानून की नितांत आवश्यकता है लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है । हम अपेक्षा करेंगे इस सरकार से कि वह जल्दी से जल्दी इस संबंध में बिल लाए और कानून बनाए ।

GOVERNMENT BILLS

The Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Bill, 2002

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI VED PRAKASH GOYAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to give effect to the International Maritime Organisation Convention for Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI VED PRAKASH GOYAL: Sir, I introduce the Bill.

The Indian Contract (Amendment) Bill, 1990

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI K. JANA KRISHNAMURTHY): Sir, I beg to move for leave to withdraw the Indian Contract (Amendment) Bill, 1990.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI K. JANA KRISHNAMURTHY: Sir, I withdraw the Bill.

SHORT DURATION DISCUSSION

On Drought Situation in many parts of the Country

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद सभापति महोदय, इस समय लगभग सम्पूर्ण देश एक भयानक स्थिति के दौर से गुजर रहा है। उसमें केवल किसान को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि देश में खेती पर मुनहासिर करने वाले करीब 100 में 70-75 लोग हैं। वे लोग केवल अनाज ही नहीं पैदा करते कारखानों में या दुकानों पर बैठे हुए लोग या दफ्तरों में काम करके तनख्वाह पाने वाले लोग अगर यह समझते हैं कि किसानों पर आफत आई है तो वे ऐसा कभी-कभी बोलते हैं। मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारी दुकान पर जो सामान रखा है उसका असली खरीदार किसान है। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं रहेगा, खरीदारी की ताकत नहीं रहेगी तो तुम्हारी दुकान फीकी हो जाएगी। मैं तनख्वाह पाने वाले लोगों से कहना चाहता हूं जो चिंता कम करते हैं इस हालत पर, केवल गर्मी के माहौल से पसीना पौंछते हुए गर्मी की चर्चा करते हैं कि किसान गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है। तुम जो पहली तारीख को तनख्वाह लेते हो उस तनख्वाह से और नोटों की गड्डी से रोटी नहीं पक सकती और चावल नहीं पक सकता है। इसलिए मैंने जान बूझकर कहा कि सम्पूर्ण देश इस समय आफत में है और पता नहीं इसका अहसास सरकार कर पा रही है या नहीं। इसके विशेषज्ञों को सुनते हैं, कभी-कभी बोलते हैं। मंत्री जी भी कहते हैं कि दस सैकड़ा नुकसान हो गया खरीफ की फसल का। कई विशेषज्ञों ने बड़ा दबकर कहा कि 15 सैकड़ा नुकसान हुआ है खरीफ की फसल का। आज की तारीख में 25 सैकड़ा, 30 सैकड़ा खरीफ की फसल का नुकसान हुआ है और अगर 15 दस दिन और पानी नहीं बरसा तो यह नुकसान 50 सैकड़ा तक जा सकता है। हमने दो-तीन दिन पहले सरकार का बयान पढ़ा कि यह सही है कि मोटा अनाज बाजरा या सोया अब नहीं पैदा हो सकता है और हम किसान को सलाह दे रहे हैं कि वह दूसरी फसल की बुआई करने के लिए सोचे। हम हंसने लगे कि आप दिल्ली से सलाह दे देंगे और किसान अपनी फसल बदलने लगेगा। इतना पढ़ा-लिखा विद्वान तो वह होता नहीं। यह सलाह देने की क्या जरूरत थी। अगर एक आफत आ गई है, इस आफत के बारे में मैंने सरकारी विभाग के कई लोगों से पूछा कि ऐसा सूखा और अकाल कभी पड़ा है या नहीं, तो उन लोगों ने कहा कि 1987 जैसा सूखा अभी नहीं पड़ा है। हम दुखी हैं और सबसे ज्यादा दुखी खेत में काम करने वाला मजदूर है, जिसको खेतिहर मजदूर कहते हैं। इस समय वह धान की रुपाई पौधा उखाड़कर के किया करता था, वह मजदूरी करता था, वह बिहार से आता था, वह उत्तर प्रदेश से आता था, वह मेरठ से, हरियाणा से होते हुए पंजाब तक जाता था, वह तो भुखमरी की हालत में पहुंच गया है। किसान लोग जिनके पास थोड़ा-बहुत पैसा होगा, वे खरीद कर के खा-पी सकते हैं, वे कहीं न कहीं से, बाहर से अनाज मंगायेंगे, लेकिन वह बेचारा तो खरीद कर भी नहीं खा सकता है, क्योंकि उसकी जेब में तो पैसा ही नहीं होगा। वह कहां से खरीदेगा, यह एक बहुत ही भयानक स्थिति है। इस स्थिति को जो लोग सत्ता में हैं या जो अफसरशाही है, वह अजीब ढंग से काम कर रही है। हमने कई बार इलाहाबाद में और दूसरी जगहों पर सूखे के सवाल पर प्रदर्शन किया है। वहां के कलेक्टर ने कभी इस पर नोटिस नहीं लिया । वे यह सोचते हैं कि पांच दिनों के बाद पानी तो बरस ही जायेगा, उसके बाद यह सवाल इरेलीवेंट हो जायेगा, असंगत हो जायेगा और सरकार भी सोचती